भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1753

29 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

उचित दर की दुकानों की गैर-व्यवहार्य शर्तें

1753. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार उचित दर की दुकानों की गैर-व्यवहार्य शर्तों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके मार्जिन में वृद्धि करके प्रति दुकान प्रति माह कम से कम 50,000/- रुपये की व्यवहार्य राशि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को उचित दर की दुकान की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रति उचितदर की दुकान से जोड़े जाने वाले लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या का आकलन करने का निर्देश देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मौजूदा उचित दर की दुकानों की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना नई दुकानों के लिए नए लाइसेंस जारी न करने का निर्देश देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या केंद्र सरकार के पास उचित दर की दुकान के डीलरों के व्यवसाय को व्यवहार्य बनाने हेतु उनके लिए अन्य योजनाओं जैसे जन पोषण केंद्र, जन औषधि केंद्र आदि को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, उनके आबंटन तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपो तक उनके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों को लाइसेंस जारी करना तथा उचित दर दुकानों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिक के मार्जिन के तौर पर एक राशि तय करेगी। उचित दर दुकान के प्रचालन की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस राशि की समीक्षा की जाएगी।

.....2/-

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए, उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी।

उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन/कमीशन आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की भूमिका सीमित है। केंद्र सरकार केवल एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर परिवहन एवं रख-रखाव तथा उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सहायता प्रदान करती है। उक्त नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यय के मानदंड तथा केंद्र द्वारा वहन किए जाने वाले अंश का प्रावधान किया गया है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के लिए केंद्रीय सहायता के मानदंडों को अप्रैल, 2026 से सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 180 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

तथापि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय सहायता के मानकों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों अथवा संपूर्ण राज्य के लिए उन वास्तविक औसत दरों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया है, इनमें से जो भी कम होगी, तक सीमित रहेगी।

उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार का एफपीएस डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करवाकर तथा एफपीएस पर मूल्यवर्धित सेवाओं का प्रावधान करके लाभार्थियों के अनुभव को बेहतर बनाने का भरसक प्रयास रहा है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उचित दर दुकानों के माध्यम से बैंकों/कॉर्पोरेट बैंकिंग संवाददाताओं के साथ समन्वय स्थापित कर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग एवं नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना, छोटे (5 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री तथा अन्य वस्तुओं/सामान्य उपयोग की वस्तुओं की बिक्री जैसी पहलें करें।

(ग) एवं (घ): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (5) के अनुसार, उचित दर दुकान डीलरों को लाइसेंस जारी करते समय उचित दर दुकान की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (6) के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी उचित दर दुकान से जुड़े राशन कार्डधारकों की संख्या युक्तिसंगत हो, उचित दर दुकान ऐसे स्थान पर स्थित हो कि उपभोक्ता अथवा राशन कार्डधारक को वहां तक पहुँचने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा पर्वतीय, मरुस्थलीय, जनजातीय एवं ऐसे अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी उचित कवरेज सुनिश्चित किया जाए।

.....3/-

(ङ.): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन कौशल से सुसज्जित करने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के तहत, एनआईईएसबीयूडी (एमएसडीई के अधीन एक स्वायत्त संस्थान) ने एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, ई-कॉमर्स, खुदरा प्रबंधन एवं मूल-भूत पोषण को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है।

अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार सहित नौ राज्यों में लगभग 325 एफपीएस डीलरों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर सहित पांच शहरों में 90 एफपीएस दुकान जन पोषण केंद्रों (जेपीके) में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सामुदायिक पहुंच में सुधार हुआ है।

भारत सरकार के औषध विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, जन औषधि केंद्र (जेएके) नामक विशेष केंद्र देश भर में खोले गए हैं। ये केंद्र ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में लगभग 50% से 80% तक सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आती है।

सरकार ने जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए फ्रेंचाइज़ी मॉडल अपनाया है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समितियों, न्यासों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास स्वयं डी. फार्मा. या बी. फार्मा. की योग्यता हो, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन जिसने इस योग्यता वाले व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया हो ताकि संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से औषधि (ड्रग) लाइसेंस प्राप्त किया जा सके, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्र हैं।

उचित दर दुकानों के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
